न्यायालय –युगल रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई, जिला छिंदवाड़ा

आर0सी0टी0नंबर–327 / 17 संस्था0 दिनांक 15 / 04 / 2017

मध्यप्रदेश शासन द्वारा –
वन परिक्षेत्र चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)
———————— परिवादी / अभियोजन

:: बनाम ::

1–संग्राम उर्फ माठू पिता बलराम कतिया, उम्र 30 वर्ष,
2–जितेन्द्र पिता जागू गोंड़, उम्र 22 वर्ष,
3–राजेन्द्र पिता अम्मूलाल गोंड़, उम्र 19 वर्ष,
4–दयाराम उर्फ टीटी पिता लक्ष्मण नागवंशी, उम्र 26 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम हिर्री, थाना चौरई,
जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)
————————————अभियुक्तगण

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 23 / 08 / 2017 को घोषित किया गया)

01– अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24.11.2013 को वन परिक्षेत्र चौरई के उपवनपरिक्षेत्र सांख की ग्रेठिया बीट के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 1362 में रात्रि करीब 8:30 बजे वन्य प्राणी के शिकार के उद्देश्य से बड़ी विद्युत लाईन से करीब एक कि.मी. तक जी.आई.तार फैलाकर विद्युत करेंट से वन्य प्राणियों को मारने का प्रयत्न किया, जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 एवं 52 सहपठित धारा 51(1) के अंतर्गत दण्डनीय है।

02– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि वन परिक्षेत्र चौरई के उप वन परिक्षेत्र सांख की बीट ग्रेठिया के कक्ष क्रमांक आर0एफ0 1362 में वन अमले की रात्रि गस्ती के दौरान दिनांक 24 / 11 / 13 को लगभग 08:30 बजे रात्रि में सरकारी जंगल के अंदर से

गुजरने वाली विद्युत लाईन के तार से लगा हुआ एक जी0आर0 दिखा जो कि एक कि0मी0 लंबाई में फैलाया गया था जो कि विद्युत करेंट से वन्य प्राणी के शिकार के उद्देश्य से लगाया गया था, जिसे वन अमले द्वारा तत्परता पूर्वक विद्युत लाईन के तार से तार निकालकर जप्ती की कार्यवाही की गई एवं अज्ञात में वन अपराध प्रकरण क0 4567 / 13 दिनांक 25 / 11 / 13 पंजीबद्ध किया गया । घटना स्थल में वन्य प्राणी का विष्ठा प्राप्त किया गया एवं कैमरा ट्रेप लगाने की रिपोर्ट भी संलग्न है जिसमें घटना स्थल से वन्य प्राणी बाघ की फोटो भी कैमरा में आयी है। मुखबिर की सूचना पर सरकारी जंगल बीट ग्रेठिया से गुजर रही बड़ी विद्युत लाईन के तार से जी0आई0 तार फैलाने वाले आरोपीगण का पता लगा । वन अमले द्वारा ग्राम हिर्री जाकर दबिश दी गई तद्पोरांत आरोपी जितेन्द्र पिता जागू गोंड़, राजेन्द्र पिता अम्मूलाल गोंड़, संग्राम उर्फ भादू पिता बलराम कतिया सभी निवासी हिर्री को मौके पर पकड़कर पूछताछ की गई । दिनांक 29 / 11 / 13 को विवेचना अधिकारी प0स0 सांख द्वारा उप वन मंडलाधिकारी छिंदवाड़ा एवं गवाहों के समक्ष आरोपीगण के कथन लेखबद्ध किए गए । सभी आरोपीगण द्वारा गवाहों के समक्ष सरकारी जंगल में बड़ी विद्युत लाईन के तार से जी0आई0 तार फंसाकर एक कि0मी0 दूर तक तार फैलाकर विद्युत करेंट से वन्य प्राणी मारने के उद्देश्य से करेंट लगाने का वन अपराध कबूल किया गया । तब पुनः वन अपराध क0 4554 / 24 दिनांक 29 / 11 / 13 पंजीबद्ध कर आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–2, 9, 39 एवं 52 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–26झ का उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया । वन अपराध प्रकरण क0 4567 / 13 दिनांक 25 / 11 / 13 से संबंधित आरोपी दयाराम उर्फ टीटी पिता लक्ष्मण कतिया का कथन प0स0 सांख द्वारा उप वन मंडलाधिकारी छिंदवाड़ा के समक्ष लिपिबद्ध किए गए थे । आरोपी ने गवाहों के समक्ष सरकारी जंगल में बड़ी विद्युत लाईन के तार से जी0आई0 तार फंसाकर एक कि0मी0 दूर तक तार फैलाकर विद्युत करेंट से वन्य प्राणी मारने के उद्देश्य से करेंट लगाने का वन अपराध कबूल किया था। आरोपी को उसके कथन लेने के उपरांत दिनांक 06 / 12 / 13 को पंचनामा बनाकर पंचों के समक्ष गिरफ्तार किया गया । साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए । वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–2, 9, 39 एवं 52 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–26झ का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होने से जांच उपरांत विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03– अभियोजन साक्ष्य के दौरान आई प्रतिकूल परिस्थितियों के आधार पर प्रश्नावली तैयार कर अभियुक्त का परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने आरोपित अपराध करना अस्वीकार कर विचारण चाहा है।

04– **<u>न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि</u> :–**

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 24.11.2013 को वन परिक्षेत्र चौरई के उपवनपरिक्षेत्र सांख की ग्रेठिया बीट के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 1362 में रात्रि करीब 8.30 बजे वन्य प्राणी के शिकार के उददेश्य से बड़ी विद्युत लाईन से करीब 1 कि.मी. तक जी.आई.तार फैलाकर विद्युत करेंट से वन्य प्राणियों को मारने का प्रयत्न किया ?

<u>सकारण–निष्कर्ष</u>

05– परिवादी साक्षी कमला पाटिल (परि0सा02) के कथनानुसार वर्ष 2013 में उनका स्टाफ चुनाव ड्यूटी में गया हुआ था। दिनांक 24.11.13 को उड़नदस्ता कर्मचारी छिंदवाडा एवं आर.टी.एस.एफ होशंगाबाद द्वारा सामूहिक रूप से फारेस्ट रेंज क्रमांक 1362 में गश्ती की जा रही थी। गश्ती के दौरान उक्त फारेस्ट की विद्युत लाईन के नीचे एक तार लगा हुआ दिखाई दिया। उनके द्वारा उक्त तार को सावधानीपूर्वक हटाया गया। तार करीब 1 कि.मी. फैला हुआ था। जिसे मौके से जप्त किया गया। लगभग 1 कि.मी. लंबा जी.आई.तार 40–50 लकड़ी की खूंटी साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 12 तैयार किया था। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त जप्तशुदा तार उसके द्वारा सुपुर्दनामा पर प्राप्त किया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी 13 है। मौका का नक्शा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी 05 है। मौके से ही वन्य प्राणी बाघ का विष्टा जिसके संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी 15 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त कार्यवाही उपरांत उसके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पी0ओ0आर0 क्रमांक 4567 / 13 लेख की थी, जो प्रदर्श पी 23 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी23 के पी.ओ.आर. की कार्यवाही को बचाव पक्ष द्वारा विवादित नही किया गया है।

06– अभियुक्तगण पर मुख्य रूप से यह आरोप है कि उनके द्वारा वन्य प्राणी के शिकार करने के आशय से ग्रेठिया बीट में करीब 1 कि.मी. लम्बा विद्युत तार बिछाकर करेंट से वन्य प्राणी के शिकार करने का प्रयत्न किया गया है। परिवादित मामले से ही स्पष्ट है कि कोई वन्य प्राणी करेंट से नही मरा है, अपितु मारने के प्रयत्न के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

07– वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 52 में उपबंधित किये गये प्रावधान अनुसार प्रयत्न और दुष्प्रेरण को भी दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अधिनियम में तदसंबंध में उपबंधित प्रावधान अधोलिखित है–

> ''जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का अथवा तदधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने, यथास्थिति, उस उपबन्ध या नियम या आदेश का उल्लंघन किया है।''

08– किसी अपराध को करने का प्रयत्न किया गया है, यह प्रमाणित करने के लिए तीन आवश्यक तत्वों को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। प्रथम अपराध करने का आशय, द्वितीय अपराध करने की तैयारी और तृतीय अपराध करने का प्रयत्न। क्योंकि प्रत्येक अपराध में सर्वप्रथम अपराध करने का आशय होता है। द्वितीय उसे करने की तैयारी होती है और फिर उसे करने का प्रयत्न होता है। यदि प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह पूर्ण अपराध का गठन करता है और यदि प्रयत्न असफल रहता है तो अपराध पूरा नहीं होता किन्तु विधि उस व्यक्ति को दण्ड देती है, जहां प्रयत्न को विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया हो। उपरोक्त आवश्यक तत्वों के आलोक में यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तगण ने साआशय तैयारी के साथ वन्य जीव को मारने का प्रयत्न किया है।

09– परिवादी साक्षी कमला पाटिल (परि0सा02) के कथनानुसार वर्ष 2013 में उनका स्टाफ चुनाव ड्यूटी में गया हुआ था। दिनांक 24.11.13 को उड़नदस्ता कर्मचारी छिंदवाडा एवं आर.टी.एस.एफ होशंगाबाद द्वारा सामूहिक रूप से फारेस्ट रेंज क्रमांक 1362 में गश्ती की जा रही थी। गश्ती के दौरान उक्त फारेस्ट की विद्युत लाईन के नीचे एक तार लगा हुआ दिखाई दिया। उनके द्वारा उक्त तार को सावधानीपूर्वक हटाया गया। तार करीब 1 कि.मी. फैला हुआ था। जिसे मौके से जप्त किया

गया। लगभग 1 कि.मी. लंबा जी.आई.तार 40–50 लकड़ी की खूंटी साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 12 तैयार किया था। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त जप्तशुदा तार उसके द्वारा सुपुर्दनामा पर प्राप्त किया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी 13 है। मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में पंचनामा प्र.पी.14 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मौका का नक्शा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी 05 है।

10– साक्षी आशा भलावी(परि0सा03), देवेन्द्र (परि0सा04) द्वारा भी कथित किया गया है कि दिनांक 24.11.13 के रात्रि 8 बजे के लगभग वे लोग कक्ष कमांक आर.एफ.1362 में गश्ती करने गये थे। जहां उन्होंने ग्रेठिया से सांख की ओर 1100 के.वी. विद्युत लाईन का एक तार फंसा हुआ देखा था। सावधानीपूर्वक तार गिराने के उपरांत वे लोग तार के अंतिम छोर तक गये थे। लगभग 1 कि.मी. दूरी तक जी.आई.तार लगा था। तार लकड़ी की खूंटिया गाढकर लगाया गया था। उक्त तार एवं लकड़ी की खूंटियां कमला पाटिल मेडम द्वारा उनके सामने जप्त की थी और कार्यवाही का पंचनामा उनके सामने तैयार किया था तथा सुपुर्दनामा पर भी प्राप्त किया गया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 12, सुपुर्दनामा प्रदर्श पी 13 और पंचनामा प्रदर्श पी 14 पर साक्षियों ने उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

11– प्रदर्श पी 12 के जप्ती पंचनामा अनुसार परिवादी साक्षी कमला पाटिल द्वारा ग्रेठिया बीट कक्ष कमांक 1362 से करीब 1 कि.मी. लम्बा जी. आई. तार और 40–50 लकड़ी की खूंटी जप्त की गई है। प्र0पी0 14 के पंचनामा में उनके द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण लेख किया है। जप्ती और उक्त पंचनामा कार्यवाही की पुष्टि परिवादी साक्षी कमला पाटिल(परि0सा01), आशा भलावी(परि0सा02) एवं देवेन्द्र (परि0सा03) द्वारा किया गया है। उक्त जप्ती की कार्यवाही को बचाव पक्ष की ओर से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जप्ती पंचनामा पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर नही है। प्रदर्श पी 12 का जप्ती पत्रक और प्रदर्श पी14 का पंचनामा गश्ती के दौरान अकास्मत रूप से मिले विद्युत तार और लकड़ी की खूंटिया की जप्ती के संबंध में है, उसमें किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्तों के उन पर हस्ताक्षर होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। साक्षीगण द्वारा की गई उक्त जप्ती की कार्यवाही पर अविश्वास किये जाने का भी कोई कारण दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार साक्षीगण द्वारा विद्युत तार और लकड़ियां जप्त किया जाना प्रमाणित होता है।

12– साक्षी लक्ष्मीनारायण यादव (परि0सा01) द्वारा कथित किया गया है कि परिक्षेत्र सहायक के निर्देश पर उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 एवं प्रदर्श पी 5 तैयार किया गया था। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी कमला पाटिल (परि0सा02), आशा भलावी(परि0सा03) ने उनके कथनों में कथित किया है कि सांख बीट के कक्ष क्रमांक 1362 में गश्ती के दौरान उन्हें लगभग एक कि.मी. लम्बा विद्युत तार लगा हुआ मिला था। प्रदर्श पी 4 एवं 5 के जो घटना स्थल के नक्शा पेश किये गये हैं, वे नजरी नक्शा नहीं है और न ही हाथों से तैयार किये गये हैं, अपितु जी.पी.एस. पद्धति से पूरे वन क्षेत्र के नक्शे का एक भाग है। जिसके माध्यम से कक्ष क्रमांक 1362 और वहां से लगी विद्युत लाईन को दर्शित किया गया है। नक्शे में विद्युत लाईन और कक्ष क्रमांक के अक्षांश और देशांतर का भी उल्लेख किया गया है और उक्त नक्शे को बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी दशा में नक्शे में दर्शित किये गये घटना स्थल और घटना स्थल से लगी हुई विद्युत लाईन के तथ्य पर अविश्वास किये जाने का भी कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

13– उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण से सांख वन्य परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1362 में करीब एक किलोमीटर लंबा विद्युत तार लगाया जाना और उक्त विद्युत तार गश्ती के दौरान वन कर्मचारियों द्वारा जप्त किया जाना प्रमाणित हो रहा है। ऐसी दशा में न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त तार अभियुक्तगण ने वन्य प्राणियों के शिकार करने के आशय से लगाया गया था।

14– साक्षी लक्ष्मीनारायण(परि0सा01) के कथनानुसार उसके द्वारा आरोपी जितेन्द्र एव राकेश, श्रीराम, जागू को पूछताछ करने के लिए सांख चौकी लाया गया था। जिसके संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी 6 तैयार किया गया था। आरोपी जितेन्द्र, संग्राम एवं दयाराम ने पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया था। उनके बयान प्रदर्श पी 7, 8 एवं 9 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी कमला पाटिल (परि0सा02) ने भी कथित किया है कि वनरक्षक एल0एन0यादव ने पूछताछ हेतु संदिग्धों को लाया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी 06 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त जितेन्द्र और संग्राम ने उनके बयान में अपना जुर्म कबूल किया था। जो कि प्रदर्श पी 7 एवं 8 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार साक्षी विनय मेश्राम (परि0सा05) ने भी कथित किया है कि आरोपी

जितेन्द्र, श्रीराम, जागू एवं राकेश को पूछताछ हेतु सांख चौकी लाया गया था। जहां उसकी उपस्थिति में अभियुक्तगण के बयान लेखबद्ध किये गये थे। अभियुक्त जितेन्द्र, संग्राम एवं दयाराम तथा राजेन्द्र के बयान लेखबद्ध किये गये थे। कथन प्रदर्श पी7 एवं 8 के सी से सी भाग पर एवं कथन प्रदर्श पी 9 के बी से बी भाग पर एवं कथन प्रदर्श पी 21 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

15– प्रदर्श पी 6 के पंचनामा अनुसार दिनांक 29.11.2013 को संदेह के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र एवं अन्य व्यक्ति राकेश, श्रीराम और जागो को पूछताछ हेतु चौकी सांख लाया गया था। उक्त तथ्य की पुष्टि साक्षी विनयकुमार मेश्राम, कमला पाटिल, आशा भलावी एवं एल0एन0यादव द्वारा की गई है। दिनांक 29.11.13 को ही अभियुक्त जितेन्द्र तथा राजेन्द्र के कथन प्रदर्श पी 7 एवं 21 लेख किये गये है तथा दिनांक 30.11.13 को अभियुक्त संग्राम के कथन प्रदर्श पी 8 और दिनांक 06.12.13 को अभियुक्त दयाराम के कथन प्रदर्श पी 9 लेख किये गये हैं।

16– अभियुक्तगण द्वारा की गई अपराध स्वीकृति के कथन के संबंध में साक्षी रितेश सिरोठिया ए.सी.एफ(परि0सा07) द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र, संग्राम, राजेन्द्र और दयाराम उर्फ टीटी द्वारा की गई स्वीकृति के बारें में विस्तृत रूप से बताया गया है।

17– साक्षी रितेश सिरोठिया ए.सी.एफ(परि0सा07) ने कथित किया है कि अभियुक्त जितेन्द्र बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छापूर्वक बताया था कि दिनांक 24.11.13 को वह खेत में पानी बगा रहा था शाम करीब 6 बजे माठु आया और कहा कि जंगल चलो जब वे सड़क तरफ आए तो उन्हें दयाराम व राजेन्द्र भी मिले इसके बाद चारों लोग ग्रेटिया के जंगल में जहा से बड़ी लाइन सांख से ग्रेटिया जाती है उसके नीचे जमीन में लालटेना की लगभग खुटी लगाकर जेआई तार लगाया था। तार बिछाने के बाद माठु द्वारा तार को बड़ी लाइन में फंसाया था। रात्रि करीब नौ बजे तार फंसाने के बाद वे चारो लोग घर आ गए थे। दिनांक 25.11.13 को माठु ने सुबह लगभग तीन बजे उसे फोन किया और कहा कि चलो जंगल तरफ चलते हैं। जब वह रोड पर आया तो वहां माठु, टीटी, राजेश, बंटु, राकेश एवं राजेन्द्र मिले। वे सभी लोग उस स्थान पर गए जहां पर तार लगाया था किंतु उन्हें वहां तार नहीं मिला था। अभियुक्त जितेन्द्र द्वारा दिया गया उक्त कथन लेख करने के उपरांत उसे पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उसने बिना किसी दबाव के उक्त कथन देना

स्वीकार किया। प्रदर्श पी 7 के कथन के डी से डी भाग पर अपनी अंगुठा निशानी लगाई है। कथन उसके निर्देश पर लेख किया गया। जिसे ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

18– साक्षी रितेश सिरोठिया ए.सी.एफ(परि0सा07) ने कथित किया है कि अभियुक्त संग्राम उर्फ माठु वल्द बलराम के कथन लेखबद्ध किए गए थे। अभियुक्त संग्राम ने बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छापूर्वक बताया था कि दिनांक 24.11.13 को पांच बजे के करीब उसे टीटी जितेन्द्र, राजेन्द्र तीनों ओड़ा नाला के पास मिले थे। टीटी के पास सफेद बोरी में तार रखा था। टीटी ने उससे कहा कि जंगल की ओर चलते हैं। इसके बाद चारों लोग ग्रेटिया के जंगल में जहा से बड़ी लाइन सांख से ग्रेटिया जाती है वहां गए थे। टीटी ने उससे कहा कि लालटेना की सुखी लकड़ी लेकर आओ तब उसने लगभग पचास लालटेना की सुखी लकड़ी को जमीन में लगाया था उनके द्वारा खुटी में तार बांधकर फैलाया गया था पुरा तार फैलाने के बाद वापस बड़ी लाइन के पास आए और राजेन्द्र ने सुखी लकड़ी की सहायता से बड़ी लाइन में तार का आंकड़ा जंगली जानवर मारने के लिए लगाया था इसके बाद वे सभी लोग घर वापस आ गए थे। रात करीब दो बजे टीटी उसक घर आया और उससे कहा कि जंगल चलते हैं किंतु उसने जंगल जाने से मना कर दिया था। सुबह करीब 6 बजे राकेश, राजेश, जितेन्द्र, राजेन्द्र, बंटु एवं टीटी मिले थे जिन्होंने उसे बताया था कि रात को लगाया तार उन्हें नहीं मिला। अभियुक्त संग्राम द्वारा दिया गया उक्त कथन लेख करने के उपरांत उसे पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उसने बिना किसी दबाव के उक्त कथन प्रदर्श पी 8 के कथन के डी से डी भाग पर उसने हस्ताक्षर किए थे। कथन उसके निर्देश पर लेख किया गया था। जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

19– साक्षी रितेश सिरोठिया ए.सी.एफ(परि0सा07) ने कथित किया है कि मेरे समक्ष उसके निर्देशों पर अभियुक्त राजेन्द्र वल्द अम्मुलाल के कथन लेखबद्ध किए गए थे। अभियुक्त राजेन्द्र ने बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छापूर्वक बताया था कि दिनांक 24.11.13 को वह उसके खेत पर पानी बगा रहा था तभी टीटी, माठु, जितेन्द्र उसके पास आए और फिर तीनो ने उसे जंगल चलने को कहा तब वह उनके साथ जंगल की तरफ गया था। माठु के पास बोरी में सेटींग तार था। चारो लोग गेटिया के जंगल गए और बड़ी लाइन के पास माठु और टीटी के द्वारा खुटी लगाया गया और उसे तथा जितेन्द्र ने तार लगाया का कहा था। लगभग 40–50

खुटी लगाई गई थी और करीब एक कि.मी तार लगाया गया था जो कि सांख से ग्रेटिया लाइन में है। माठु के द्वारा हुक बनाकर सुखी लकड़ी से तार लगाया गया था। इसके बाद रात्रि 8–9 बजे वे वापस अपने घर आ गए थे। सुबह 4–5 बजे के करीब टीटी, माठु उसके घर आए। राजेश, राकेश, बंटु ये लोग रोड पर मिले थे। सातो लोग उस जगह गए थे जहां तार लगाया गया था किंतु मौके पर कोई तार नहीं मिला। उन लोगों ने यह सोचा था कि लगाए गए तार में शेर, तेदुआ, सुअर, नीलगाय, चीतल या सांभर करेंट से फंस गए होगे किंतु आसपास ढुढने पर भी कोई वन्यप्राणी नहीं मिला। यदि शेर, तेंदुआ, रीछ आदि जानवर मिलते तो वे उसे जमीन में गड़ा देते और यदि नीलगाय, सांभर, सुअर, खरगोश आदि जानवर फंसते तो वे उसे काटपीटकर उसके मांस का बंटवारा करते।अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा दिया गया उक्त कथन लेख करने के उपरांत उसे पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उसने बिना किसी दबाव के उक्त कथन प्रदर्श पी 21 के कथन के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कथन मेरे निर्देश पर लेख किया गया। जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

20– साक्षी रितेश सिरोठिया ए.सी.एफ(परि0सा07) ने कथित किया है कि मेरे समक्ष मेरे निर्देशों पर दयाराम उर्फ टीटी पिता लक्ष्मण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। अभियुक्त दयाराम ने बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छापूर्वक बताया था कि दिनांक 24.11.13 को वह घर पर था माठु उसके घर आया और उसे खेत तरफ चलने कहा। शाम करीब 6 बजे रास्ते में जितेन्द्र व राजेश मिले। इसके बाद चारो लोग सरकारी जंगल गेटिया और सांख से गेटिया बड़ी लाइन के नीचे गए सबने मिलकर लालटेना की सुखी लकड़ी एक से दो हाथ की चौड़ी खुटी जमीन में लगाया और साथ में तार भी लगाते गए थे इसके बाद बड़ी लाइन के पास आए और माठु ने सुखी लकड़ी से बड़ी लाइन के बिजली मे तार फंसा दिया था। तार जंगली जानवर मारने के लिए लगाया था। रात्रि करीब 8–9 बजे वे लोग वापस घर आ गए थे। सुबह करीब चार बजे माठु उसके घर आया और जंगल की ओर चलने कहा। रास्ते में जितेन्द्र, राजेश, राजेन्द्र, राकेश, बंटु ओड़ा नाला के पास मिले और सभी लोग बड़ी लाइन के पास गए थे। वहां पर तार नहीं मिला। जो तार हमने लगाए थे उसकी पहचान भी उसके द्वारा की गई थी।अभियुक्त दयाराम द्वारा दिया गया उक्त कथन लेख करने के उपरांत उसे पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उसने बिना किसी दबाव के उक्त कथन प्रदर्श पी 9 के कथन के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कथन मेरे

निर्देश पर लेख किया गया। जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

21– बचाव पक्ष द्वारा तर्क के दौरान मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि अभियुक्तगण के बयान साक्षी रितेश सिरोठिया द्वारा नहीं लिया गया है। इस संबंध में उन्होंने साक्षी लक्ष्मीनारायण (परि0सा01), कमला पाटिल (परि0सा02) एवं साक्षी विनय मेश्राम (परि0सा05) द्वारा किये गये कथन का अवलम्बन लिया है। साक्षी लक्ष्मीनारायण (परि0सा01) ने उसके मुख्य परीक्षण के कंडिका 3 में यह कथित किया है कि प्रदर्श पी 7, 8, 9 के कथन उसकी उपस्थिति में परिक्षेत्र सहायक ने लेख किये थे। साक्षी कमला पाटिल (परि0सा02) ने भी यह कथिन किया है कि उसकी उपस्थिति में अभियुक्तगण ने अपना अपराध कबूल किया था तथा साक्षी विनय मेश्राम (परि0सा05) ने भी अभियुक्तगण द्वारा की गई स्वीकृति के संबंध में बताया है। साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा07) ने कहीं भी ऐसा कथित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण के संस्वीकृतिजन्य कथन उसने स्वयं अपनी हस्तलिपि में लेख किये थे, बल्कि उसके निर्देश पर लेख किया जाना स्पष्टतः उल्लेखित किया है। साक्षी विनय मेश्राम (परि0सा05) ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को कि कथन लिये जाते समय साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा07) मौजुद नहीं थे, स्पष्टतः इंकार किया है। इसी प्रकार साक्षी लक्ष्मीनारायण (परि0सा01) एवं कमला पाटिल (परि0सा02) ने भी इस आशय के लेशमात्र भी कथन नहीं किये है कि कथन लिये जाते समय साक्षी रितेश सिरोठिया उपस्थित नहीं थे। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा07) को उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकृति जन्य सुझाव भी दिया गया है कि अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेने के बाद उसके द्वारा बयान लिये गये थे। इस प्रकार बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि अभियुक्तगण के संस्वीकृतिजन्य कथन साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा07) द्वारा नहीं लिये गये है।

22– बचाव पक्ष द्वारा यह भी प्रतिरक्षा ली गई है कि प्रदर्श पी1 के जप्तीपत्रक के माध्यम से जो तार और लकड़ी अभियुक्त संग्राम, जितेन्द्र और राजेन्द्र से जप्त होना बताया गया है, जो वास्तव में उनसे जप्त नहीं हुई है। साक्षी लक्ष्मीनारायण(परि0सा01) ने अभियुक्त संग्राम, जितेन्द्र, राजेन्द्र एवं दयाराम से तार एवं लकड़ी की खूंटी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 तैयार किया जाना और उसके ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कथित किया है। प्रदर्श पी1 के जप्ती पत्रक के अनुसार

जो सामग्री जप्त होना बताया गया है, वही सामग्री दिनांक 25.11.2013 को ग्रेठिया बीट क्रमांक 1362 में मौके से साक्षी कमला पाटिल द्वारा जप्त की गई है। अर्थात उक्त सामग्री का ही पुनः अभियुक्तगण के पास से जप्त होने का जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 तैयार किया जाना दर्शित हो रहा है। जो सामग्री पूर्व में ही जप्त हो चुकी हो और उक्त जप्ती प्रमाणित भी हो गई हो, उसके संबंध में पश्चातवर्ती प्रक्रम पर तैयार किया गया पंचनामा स्वमेव महत्वहीन है और उससे बचाव पक्ष को कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होता है।

23– साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा07) के कथनानुसार जांच के दौरान उसके द्वारा घटना स्थल पर मौजुद लोगों की मोबाईल लोकेशन प्राप्त की गई थी, जिसमें अभियुक्त, अभियुक्तगण की मोबाईल लोकेशन घटना स्थल के पास होना पाया गया था, जिसके संबंध में उसके द्वारा साईबर सेल से कॉल डिटेल प्राप्त की गई थी, जिसकी सत्य प्रति प्रदर्श पी 25 एवं 26 है। साक्षी लक्ष्मीनारायण (परि0सा01) के कथनानुसार उसके द्वारा आरोपी जितेन्द्र से कार्बन कंपनी का एक मोबाईल मय सिम जप्त किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 2 के जप्ती पत्रक में जिन मोबाईल नंबरों का उल्लेख किया गया है, वे किनके नाम से है और उनका प्रयोग किस अभियुक्त के द्वारा किया जा रहा था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी 25 एवं 26 की कॉल डिटेल साईबर सेल से प्राप्त की गई है, यद्यपि वह प्रमाणित प्रतिलिपि है, किन्तु कम्प्युटर से तैयार की गई प्रति है। उक्त प्रति को तैयार करने वाले की ओर से उनकी सत्यता को कोई प्रमाण पत्र प्रति के साथ प्रदान नहीं किया है और न ही परिवादी की ओर से प्रति प्रदान करने वाले और प्रति तैयार करने वाले साक्षी को परिक्षित कराया गया है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत हरपाल सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य जे0एल0टी0 (2017) एस0सी0जे0 जनवरी 27** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि –फोन कॉल की डिटेल्स तब तक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होंगे जब तक कि वे साक्ष्य अधिनियम की धारा–65बी (4) में उपबंधित की गई प्रकिया से प्रमाणित न हो । ऐसी दशा में उक्त कॉल डिटेल से कोई लाभ परिवादी पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

24– बचाव पक्ष द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गई है कि वन में बिछा तार विद्युत लाईन से जुड़ा हुआ था, इस संबंध में किसी विद्युत कर्मचारी की साक्ष्य नहीं करायी गई है । साक्षी कमला पाटिल (परि0सा02) ने उसके

मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 में स्पष्ट कथित किया है कि गस्ती के दौरान विद्युत लाईन से तार लगा हुआ दिखायी दिया था जिसे उन्होंने सावधानीपूर्वक हटाया था । इसी प्रकार साक्षी आशा भलावी (परि0सा03) ने भी कथित किया है कि ग्रेठिया से सांख की ओर जाने वाली 11 के0वी0 की विद्युत लाईन पर एक तार फंसा हुआ था जिसे उन्होंने सावधानीपूर्वक झटके से नीचे गिराया था । प्रदर्श पी–4 के नक्शे में वन क्षेत्र ग्रेठिया के किस भाग से विद्युत लाईन गई है इसका स्पष्ट उल्लेख है । ग्रेठिया वन क्षेत्र से विद्युत लाईन नहीं गई है, ऐसी कोई तथ्य, परिस्थिति या साक्ष्य बचाव पक्ष द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है । परिवादी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से विद्युत लाईन से तार लगे होने के कथन किए हैं । अभियुक्तगण ने भी उनकी संस्वीकृति में विद्युत लाईन से तार लगा दिए जाने के स्पष्ट कथन किए हैं, ऐसी दशा में बचाव पक्ष की उक्त प्रतिरक्षा तर्क संगत न होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है ।

25– साक्षी कमला पाटिल (परि0सा02) के कथनानुसार मौके से ही वन्य प्राणी बाघ का विष्ठा मिला था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी15 उनके द्वारा तैयार किया गया था। साक्षी देवेन्द्र उइके(परि0सा04) ने भी बड़ी विद्युत लाईन से 40–50 मीटर दूर बाघ का विष्ठा मिलने के कथन किये हैं। तथा पंचनामा प्रदर्श पी 15 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना कथित किया है।

26– साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा05) द्वारा यह भी कथित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा सांख बीट में विद्युत करेंट फैलाया गया था उसी समय उस क्षेत्र में शेर का भ्रमण हो रहा था। ऐसी स्थिति में इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण ने तार शेर का शिकार करने के आशय से लगाया गया हो। शेर के भ्रमण होने के संबंध में उसके द्वारा जंगल के कई भागों में कैमरे लगाये गये थे। जिसमें दिनांक 18.11.13 को उत्तरी अक्षांश 21.58.29 दक्षिणी अक्षांश 79.18.02 पर कैमरे में शेर के छायाचित्र कैद किये गये थे और घटना स्थल के पास से ही शेर का ताजा विष्ठा जप्त किया गया था। इस प्रकार साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा07) एवं साक्षी आशा भलावी (परि0सा03) एवं देवेन्द्र (परि0सा04) द्वारा किये गये कथनों से घटना समय सांख बीट में वन्य प्राणी शेर के भ्रमण होने की साक्ष्य अभिलेख पर आई है।

27– उपरोक्तानुसार किए गए विवेचन से वन परिक्षेत्र चौरई के सांख बीट के कक्ष क्रमांक 1362 में करीब एक किलो मीटर लंबा जी.आई.

विद्युत तार का लगाया जाना स्थापित हुआ है । साक्षीगण द्वारा किए गए कथनों से यह भी साक्ष्य अभिलेख पर आयी है कि जिस समय वन में विद्युत तार लगाया गया था उस समय वहां शेर का भ्रमण था और उसका विष्ठा भी जप्त हुआ है । साक्षी रितेश सिरोठिया ने यह भी कथित किया है कि तार मुख्य रूप से शेर का शिकार करने के लिए लगाया गया था । इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि वनों में वन्य जीव निवास करते हैं, ऐसी दशा में निःसंदेह तार वन्य जीव के शिकार के लिए ही लगाया गया था और जिस समय लगाया गया था उस समय वहां वन्य जीव शेर का भ्रमण था । ऐसी स्थिति में उसके शिकार के लिए लगाया गया हो, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

28– प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या तार अभियुक्तगण द्वारा ही लगाया गया था ? इस संबंध में अभियुक्तगण द्वारा साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा07) से किए गए संस्वीकृतजन्य कथन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क किया गया है कि उक्त एकल संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

29– इस संबंध में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–50 की उपधारा–8 एवं 9 अवलोकनीय है । धारा–50 की उपधारा–8 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य प्राणी परिरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत ऐसे अधिकारी का जो सहायक वनपाल की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के किसी उपबंध के विरूद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(क) तलाशी वारंट जारी करेगा,
(ख) साक्षियों को हाजिर कराना,
(ग) दस्तावेजों और तात्विक पदार्थों के प्रकटीकरण और उनके प्रस्तुत किए जाने के लिए विवश करना और,
(घ) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित करना ।

धारा 50 की उपधारा–9 के अनुसार उपधारा–(8) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परन्तु यह तब जबकि उसे अभियुक्त

व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो ।

30– इस प्रकार अधिनियम की धारा–50 की उपधारा–8 एवं 9 के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है कि यदि ए0सी0एफ0 रेंक का वन अधिकारी कोई साक्ष्य ग्राह्य करता है अथवा अभिलिखित करता है तो उक्त साक्ष्य को धारा–9 के अंतर्गत न्यायालय के पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य कर सकता है। धारा–50 (8) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया है । संशोधन के अनुसार सहायक संचालक वन्य प्राणी संरक्षण या कोई अन्य अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक से अनिम्न पद का न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया है, ही साक्ष्य ले सकता है और अभिलिखित कर सकता है । न्याय दृष्टांत **STATE V/S FRANCIS MASRENHAS 2015 Law Suit (Bom) 1128** में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम की धारा–50(8) में उपबंधित आज्ञापक प्रावधान अनुसार साक्ष्य या संस्वीकृति ए0सी0एफ0 या उससे वरिष्ठ अधिकारी ही ले सकते हैं और यदि उनके द्वारा ऐसी साक्ष्य या संस्वीकृति ली गई है तो वह साक्ष्य में ग्राह्य की जा सकती है ।

31– वर्तमान मामले में साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा07) ए0सी0एफ0 रेंक के अधिकारी हैं, उनके द्वारा अभियुक्तगण की संस्वीकृति प्रदर्श पी–7, 8, 9 एवं 21 लेखबद्ध की गई है । अभियुक्तगण के कथन उनके द्वारा बिना किसी डर, दबाव के स्वेच्छयापूर्वक लेख किए गए थे, कथन लेख करने के पश्चात् उन्हें पढ़कर बताए गए जिसके पश्चात् अभियुक्त जितेन्द्र के कथन के डी से डी भाग पर उसकी अंगूठा निशानी ली गई है तथा अभियुक्त संग्राम, राजेन्द्र एवं दयाराम के कथनों पर उनके हस्ताक्षर लिए गए हैं ।

32– किसी अभियुक्तगण द्वारा की गई न्यायिकेत्तर स्वीकृति के सुसंगत होने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी संस्वीकृति किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कारित प्रभाव के पूर्णरूपेण समाप्त हो जाने के बाद की गई हो और ऐसी संस्वीकृति पुलिस अधिकारी के समक्ष न की गई हो अर्थात् संस्वीकृति स्वेच्छया की गई हो और वह सत्य हो । वर्तमान मामले में अभियुक्तगण द्वारा की गई संस्वीकृति लिखित में सक्षम वन अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है, उस पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर भी लिए गए हैं और उक्त संस्वीकृतिजन्य कथनों के बारे में सक्षम वन अधिकारी रितेश सिरोठिया ए0सी0एफ0(परि0सा07) द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में विस्तार से बताया भी गया है । बचाव पक्ष द्वारा

ऐसी कोई प्रतिरक्षा या साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त संस्वीकृतिजन्य कथन किसी धमकी, वचन या उत्प्रेरणा के अधीन किए गए हों, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के उक्त संस्वीकृतिजन्य बयान साक्ष्य में सुसंगत होकर ग्राह्य किए जाने योग्य हैं ।

33– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिवकुमार विरूद्ध स्टेट द्वारा पुलिस निरीक्षक (2006) 1 एस0सी0सी0 714** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति कमजोर प्रकृति की साक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर0कुप्पूस्वामी विरूद्ध पुलिस निरीक्षक अम्बेलीगयी (2013) 3 एस0सी0सी0 322** के न्याय दृष्टांत में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर दण्डित किया जा सकता है यदि ऐसी संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के प्रलोभन के अंतर्गत नहीं की गई हो । इस प्रकार उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के सिद्धांत के आलोक में यदि अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत हो तो वह साक्ष्य में ग्राह्य की जा सकती है ।

34– वर्तमान मामले में वन कर्मचारियों द्वारा गस्ती के दौरान करीब एक कि.मी. लंबा विद्युत तार जंगल में लगा पाया गया है । अन्वेषण के दौरान संदेह और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष न केवल अपराध करना स्वीकार किया है अपितु उन सब परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन किया है जिसमें उन्होंने किस तरह से विद्युत तार वन में फैलाए थे, किस प्रयोजन से फैलाए थे और प्रयोजन पूर्व में हुआ अथवा नहीं इस बात की तस्दीक करने हेतु वे पुनः प्रातः जंगल गए थे । अभियुक्तगण ने उनके कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा लगाए तार में किस प्राणी के फंसने पर उनका क्या उपयोग करते ।

35– सभी अभियुक्तगण ने उनके उनके संस्वीकृतिजन्य कथन में यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने विद्युत तार वन्य जीव को मारने के लिए लगाया था । अभियुक्त राजेन्द्र ने उसके संस्वीकृतिजन्य कथन में यह भी स्पष्ट किया है कि तार लगाने के पश्चात् उन्होंने यह सोचा था कि तार में शेर, तेंदुआ, सुअर, नील गाय, चीतल या सांभर फंस गए होंगे । यदि उन्हें तार में शेर, तेंदुआ, रीछ आदि जानवर मिलते तो वे उन्हें जमीन में गाड़ देते और यदि नील गाय, सांभर, सुंअर, खरगोश आदि जानवर

मिलते तो वे उसे काट देते, उसके मांस का बंटवारा करते । इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने वन्य जीव के शिकार के आशय से ही तार लगाया था ।

36– वन्य जीव या वनों के प्रति अपराध सामान्यतः अंधेरी रात में और एकांत में ही सम्पन्न होते हैं, ऐसी दशा में वन या वन्य जीवों के प्रति होने वाले अपराध के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्षी मिलेगा इसकी संभावना न के बराबर होती है । किसी मानव के प्रति अपराध हो या कोई मानव गायब हो या ना मिले तब वह स्वयं अथवा उसके ईष्ट मित्र, रिश्तेदार या परिचित अपराध की सूचना थाने को दे सकते है। किन्तु वन्य जीव के प्रति अपराध होने या वन्य जीव के गायब होने पर उसकी सूचना कोई वन्य प्राणी नहीं दे सकता अर्थात् उसकी जानकारी सामान्यतः अपराध होने के पश्चात् ही प्राप्त होगी । उक्त व्यवहारिक वास्तविक समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ही वन्य जीव अधिनियम में संभवतः कानून निर्माताओं ने ए0सी0एफ0 या उससे वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति का साक्षिक महत्व का प्रावधान किया गया है ।

37– वर्तमान मामले में वन से फैला हुआ विद्युत करेंट का तार गस्ती के दौरान जप्त किया गया है, संदेह के आधार पर पूछताछ उपरांत अभियुक्तगण ने स्वेच्छया अपराध की स्वीकृति की है । अभियुक्तगण की वन अधिकारी या संस्वीकृति लेख करने वाले अधिकारी से कोई वैमनस्य, रंजिश या प्रकरण में उन्हें मिथ्या आलिप्त करने का कोई हेतुक हो ऐसी कोई तथ्यात्मक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । ऐसी दशा में साक्षी रितेश सिरोठिया (परि0सा07) के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा की गई संस्वीकृति पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है ।

38– अभियुक्तगण पर वन्य जीव का शिकार करने का प्रयत्न करने का आरोप है । प्रयत्न के अपराध के गठन के लिए तीन तत्वों का प्रमाणित होना आवश्यक है, प्रथम आशय, द्वितीय तैयारी और तृतीय प्रयत्न। तैयारी से अभिप्राय उन कार्यों से है जिनसे किसी अपराध को करने के आवश्यक साधन या उपाय बनाए जाते हैं अथवा उनकी व्यवस्था की जाती है । वर्तमान मामले में अभियुक्तगण द्वारा वन्य जीव का शिकार करने की पूर्ण तैयारी की गई थी और उसी के अनुक्रम में विद्युत जी0आई0 तार एवं लकड़ियां एकत्रित कर अभियुक्तगण द्वारा अपराध करने की पूर्णतः तैयारी की गई थी ।

39– तैयारी हो जाने के पश्चात् अपराध को करने की ओर प्रत्यक्ष रूप से गतिमान होना प्रयत्न कहलाता है । प्रयत्न ऐसा सआशय तैयार वाला कार्य है, जो अपने उद्देश्य में ऐसी परिस्थितियों के कारण असफल हो जाता है जो उस व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होती है जो उस उद्देश्य से प्राप्त करना चाहता है । वर्तमान मामले में अभियुक्तगण द्वारा वन्य जीव के शिकार के आशस से करीब एक कि.मी. लंबा तार वन के अंदर छोटी लकड़ी और खूंटी के माध्यम से न केवल फैलाया गया था अपितु उसका संपर्क विद्युत लाईन से किया गया था जिससे कि करेंट लगकर वन्य जीव की मौत कारित की जा सके । इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा उनके उद्देश्य की प्राप्ति हेतु न केवल सआशय तैयारी की गई थी अपितु उसे पूर्ण कर तार को विद्युत प्रवाह से भी जोड़ दिया गया था परन्तु वन कर्मचारियों द्वारा गस्ती के दौरान उक्त फैलाए गए तार को देख लेने के कारण उससे वन्य जीव का शिकार नहीं हो सका । वन में गस्ती करने वाले वन कर्मचारी पर अभियुक्तगण का कोई नियंत्रण नहीं था अर्थात् अभियुक्तगण उनके नियंत्रण से परे परिस्थिति के कारण उनके उद्देश्य में सफल नहीं हो सके । यदि वन कर्मचारियों का गस्ती दल उक्त फैलाए गए करेंट को न हटाता तो अभियुक्तगण उनके उद्देश्य में सफल हो जाते इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

40– किसी अपराध का आशय प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति तथा किए गए कार्य से निकाला जाता है । वर्तमान मामले में अभियुक्तगण ने वन्य जीव के शिकार करने के आशय से न केवल सामाग्री एकत्र कर न केवल तैयारी की अपितु वन के अंदर करीब एक कि.मी. जी0आई0 तार फैलाकर करेंट के माध्यम से वन्य जीव का शिकार करने का प्रयत्न भी किया । इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा सआशय वन्य जीव का शिकार करने की तैयारी और प्रयत्न किया गया है, यह उपरोक्त विवेचना से स्थापित होता है ।

41– उपरोक्त विवेचन से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा उप वन परिक्षेत्र सांख की ग्रेठिया बीट के कक्ष कमांक 1362 में करीब एक कि.मी. लंबा जी0आई0 तार फैलाकर विद्युत करेंट से वन्य प्राणी का शिकार करने का प्रयत्न किया । परिणामतः अभियुक्तगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 एवं 52 सहपठित धारा 51(1) के आरोप में सिद्धदोष ठहराया जाता है ।

42– अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने के बिन्दु पर बचावपक्ष के अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण की परिस्थिति, अपराध की गंभीरता के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

43– अभियुक्तगण को दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण कुछ समय पश्चात् पेश हो।

सही / –
(युगल रघुवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चौरई,जिला छिंदवाड़ा(म0प्र0)

पुनश्चः–

44– दंड के प्रश्न पर अभियुक्तगण, उनके अधिवक्ता एवं अभियोजन को सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है अतः उन्हें न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियुक्तगण द्वारा वन्य जीव का शिकार करने के लिए ग्रेठिया वन क्षेत्र में लगभग एक कि.मी. लंबा जी0आई0 तार फंसाया गया था और उक्त तार को विद्युत लाईन से जोड़कर विद्युत करेंट के माध्यम से वन्य जीव के शिकार का प्रयत्न किया है । जिस समय अभियुक्तगण द्वारा विद्युत तार लगाया गया था उसी समय उस क्षेत्र में शेर जैसे दुर्लभ होते वन्य प्राणी का भी भ्रमण था, यदि वन विभाग का गस्ती दल सजगता से उक्त विद्युत तार को नहीं देखता तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी न किसी वन्य प्राणी के प्राण अवश्य जाते और यदि शेर उस मार्ग से गुजरता तो उसकी भी जान जाने की संभावना थी । अभियुक्तगण द्वारा जितना लंबा तार बिछाया गया था उससे उनका स्पष्ट ईरादा वन्य जीवों का शिकार करने का था और उसमें शेर का शिकार करना भी रहा हो, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता । धारा–51 की उपधारा–1 के परन्तुक में उपबंधित प्रावधान अनुसार जहां कोई अपराध अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी के संबंध में किया जाता है, वहां ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। अभियुक्तगण द्वारा किए गए कृत्य से अनुसूची 1 के प्राणी की भी जान जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

45– जहां कि न्यूनतम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का प्रावधान विधि द्वारा किया गया हो वहां अभियुक्त को दण्डित किए जाने में उदारता करने का प्रश्न ही नहीं उठता । वर्तमान मामले में अभियुक्तगण द्वारा वन्य प्राणी की विद्युत करेंट लगाकर मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया है । वन्य जीवों के प्रति बढ़ते हुए शिकार और सामान्य रूप से करेंट लगाकर वन्य जीव की मृत्यु कारित किया जाना आम प्रचलन में देखा जा रहा है । ऐसी दशा में अभियुक्तगण द्वारा किए गए कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम में उपबंधित प्रावधान अनुसार अभियुक्तगण को कठोर कारावास से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

46– परिणामतः अभियुक्तगण को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9 एवं 52 सहपठित धारा 51(1) के अधीन 03–03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000–10,000 / –रूपए (दस–दस हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण को 06–06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जावे ।

47– अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

48– प्रकरण में जप्त मुद्देमाल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे ।

49– अभियुक्तगण को निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

50– अभियुक्तगण का अंतर्गत धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण संलग्न किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

सही / –

(युगल रघुवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चौरई,जिला छिंदवाड़ा(म0प्र0)

मेरे आलेख पर टंकित किया एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / –

(युगल रघुवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चौरई,जिला छिंदवाड़ा(म0प्र0)

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु आदेश)